



2026:AHC:178362

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29820 वर्ष 2026

तुषार @ पप्पन ठाकुर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : जितेंद्र पाल सिंह जादौन, सीमा सिंह जादौन
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आज आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र पाल सिंह जादौन तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
3. प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या 229 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 331(8), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना हरदुआगंज, जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था, किंतु विवेचना के दौरान पुलिस मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसे दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव भी शामिल था, जो मुख्य अभियुक्त था तथा जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अंकित था।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के इकबालिया कथन तथा संदेह के अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार कथित घटना से लगभग आधे घंटे पूर्व आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों, जिनमें सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव भी शामिल था, के साथ देखा गया था, किंतु मात्र इस आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक भी उसके साथ वर्तमान अपराध में सम्मिलित था।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक पिछले दो माह से जेल में है, किंतु मामले की विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मात्र उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
12. तथापि, यह परिलक्षित होता है कि आवेदक 17.6.2026 से ही जेल में है, किंतु अभिलेख से यह भी पता चलता है कि विवेचना के उपरांत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
13. इसके अतिरिक्त, जहां तक वर्तमान मामले के गुण-दोष का संबंध है, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा विवेचना के दौरान पुलिस मुखबिर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के माध्यम से उसे दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव भी शामिल था, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित था।
14. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अभियोजन के अनुसार कथित घटना से लगभग आधे घंटे पूर्व आवेदक को सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव के साथ देखा गया था, किंतु यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में सार पाता है कि उपर्युक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की।

15. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त साक्ष्य के अलावा, यह परिलक्षित होता है कि अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस एवं ग्राह्य साक्ष्य नहीं है।

16. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

17. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19. आवेदक- तुषार @ पप्पन ठाकुर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।